26.02.2020

पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध पहले से एक पक्षीय है । वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी ने वाद के समर्थन मे विशालसिंह व कल्याणसिंह के शपथ पत्र पेश किये । जिनका प्रतिवादी की तरफ से कोई खण्डन नही हुआ । वादी की साक्ष्य को नही मानने का कोई कारण प्रतीत नही होता है । वादग्रस्त भूमि वादी की एकल खातेदारी की है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त नही है प्रतिवादीगण को वादी की भूमि मे दखल करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 466/1 रकबा 22 बीघा 8 बीस्वा भूमि के अन्दर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और नही किसी से अन्य से कराए जाने की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे ।

सहायक कलेक्टर [illegible]

Scanned by CamScanner

(ऑर्डर 21 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसेडुर कोड एपीडिक्स डी–1)

अज अदालत –सहायक कलेक्टर औसिया ।
बइजलास –**रतनलाल रेगर आर.ए.एस.**

वादी बनाम	**प्रतिवादीगण**
1 विशालसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह जाति राजपूत निवासी भीमसागर तहसील औसिया जिला जोधपुर	1 भवंरसिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह 2 भगवानसिंह पुत्र श्री बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी भीमसागर तहसील औसिया जिला जोधपुर 3 श्री तहसीलदार औसिया

मुकदमा नम्बर 81/07

यह मुकदमाआज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकार बहाजरी श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही मिन जानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम भीमसागर के खसरा नम्बर 466/1 रकबा 22 बीघा 8 बीस्वा भूमि के अन्दर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे और नही किसी से अन्य से कराए जाने की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के हक हिस्से की भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और नही किसी से करावे तदनुसार डिक्री जारी की जाती है । वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करे, उपरोक्त अनुसार डिक्री जारी की जाती है ।
मुवलिग................................बाबत ....खर्चा मुकदमे के मय सूर व शरह ....फिसदी सालानाआज की तारीख वसूलयागी तक ....को अदा करे ।

बसबूत मैरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 26.02.2020 को जारी की गई ।

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनाम		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाह			फिस कमिश्नर		
मौका कमिश्नर			बाबत इजराह		
जनाब इजराह			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुद्धफरीक		
अन्य					
योग			योग		

नोट पर्चा खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरीये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

सहायक कलेक्टर, औसिया
सहायक कलेक्टर औसिया

Scanned by CamScanner